

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मेहनाजपुर

छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 08.09.2023 को वादी मुकदमा ने तहरीर दिया कि मेरी पुत्री के साथ शरीफ अन्सारी पुत्र अलिवक्स निवासी ग्राम- लालमऊ थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने छेड़खानी किया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/23 धारा 354(क)/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)w, 3(2)5क SC/ST Act पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 09.09.2023 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकमदा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शरीफ अन्सारी पुत्र अलिवक्स निवासी ग्राम लालमऊ थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को मेहनाजपुर बस अड्डा से समय 12.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 192/23 धारा 354(क)/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)w, 3(2)5क SC/ST Act थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त :- शरीफ अन्सारी पुत्र अलिवक्स निवासी ग्राम- लालमऊ थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

01. उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव

02. हे0का0 उमाशंकर पटेल ,

03. का0 विकास पाण्डेय, थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस- नोटथाना- बरदहचोरी की घटना का सफल आनावरण चोरी गये सिंचाई मोटर के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07-09-2023 को वादी मुकदमा संतोष उपाध्याय S/0 रामवृक्ष उपाध्याय ग्रा0 गोड़हर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि वादी के खेत से 2 H.P. सिंचाई मोटर को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 368/23 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर दौरान विवेचना प्रकाश बनवासी पुत्र रामशेष बनवासी ग्राम कुड़िहर थाना वरदह जनपद आजमगढ़, 2. संजय वनवासी पुत्र सतनू वनवासी ग्राम कुड़िहार थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 3. तहाबुल शेख पुत्र आजेद अली शेख ग्राम कपासडग्गा थाना बेलडग्गा जनपद मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) हाल पता ग्राम गोड़हरा बाजार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण- दिनांक 10-09-2023 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्तो 1. प्रकाश बनवासी पुत्र रामशेष बनवासी ग्राम कुड़िहर थाना वरदह जनपद आजमगढ़ 2. संजय वनवासी पुत्र सतनू वनवासी ग्राम कुड़िहार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 3. तहाबुल शेख पुत्र आजेद अली शेख ग्राम कपासडग्गा थाना बेलडग्गा जनपद मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) हाल पता ग्राम गोड़हरा बाजार थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को गोड़हरा बाजार से समय करीब 10:25 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. प्रकाश बनवासी पुत्र रामशेष बनवासी ग्राम कुड़िहर थाना वरदह जनपद आजमगढ़

2. संजय वनवासी पुत्र सतनू वनवासी ग्राम कुड़िहार थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3. तहाबुल शेख पुत्र आजेद अली शेख ग्राम कपासडग्गा थाना बेलडग्गा जनपद मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) हाल पता ग्राम गोड़हरा बाजार थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- 2 HP सिंचाई मोटर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 गोपाल जी थाना बरदह, आजमगढ़

2. उ0नि0 महबूब अली थाना बरदह, आजमगढ़

3. हे0 का0 बिहंगल यादव थाना बरदह, आजमगढ़

4. का0 राजिद प्रसाद थाना बरदह, आजमगढ़।

थाना सिधारी
आत्महत्या के लिए दृष्टरेण के मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार

पूर्व की घटना- वादिनी मुकदमा भगवंती पत्नी सामुराम सा0 बलेलपुर थाना मेहनगर आजमगढ द्वारा शिकायत किया गया था कि वादिनी के पुत्र मनोज को 1-सुमन पत्नी मनोज 2-निर्मल पुत्र अज्ञात 3-धनन्जय पुत्र निर्मल निवासी गण बभनौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ 4-एक ब्यक्ति नाम पता अज्ञात ने जहर देकर जान से मार दिया व लाश को सरसो के खेत में रख दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 30/23 धारा 302/201 भादवि बनाम 1-सुमन पत्नी मनोज 2-निर्मल पुत्र अज्ञात 3-धनन्जय पुत्र निर्मल निवासी गण बभनौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ 4-एक ब्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना प्र0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय द्वारा किया जा रही थी।

➔ दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों के परीक्षण से यह पाया गया कि मृतक अपनी पत्नी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के कारण आत्म हत्या किया है जिसमें उसकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी का योगदान नहीं है। अभियोग धारा 302/201 भादवि से धारा 306 भादवि में तरमीम किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 10.09.2023 को प्र0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता सुमन पत्नी स्व0 मनोज निवासी बभनौली थाना सिधारी आजमगढ उम्र करीब 37 वर्ष को उसके घर ग्राम बभनौली से समय करिब 14:30 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 30/23 धारा 302/201 भादवि से तरमीम धारा 306 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ।

नाम पता अभियुक्ता-

सुमन पत्नी स्व0 मनोज निवासी बभनौली थाना सिधारी आजमगढ उम्र करीब 37 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 विकास चन्द्र पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ
2. हे0कान्स0 जयराम तिवारी थाना सिधारी आजमगढ
3. का0 रोशन भारती थाना सिधारी आजमगढ
4. का0 दीवानचन्द थाना सिधारी आजमगढ
5. म0का0 साधना त्रिपाठी थाना सिधारी आजमगढ

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 439 वाहनों का चालाना

दिनांक- 10.09.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 93 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1709 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 439 वाहनों का चालान किया गया।